तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। व बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली के साथ हमशील रहे। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु.न. 12/18 | आर.सी.एस न0 2018/00134 | तारीख रजू 23.08.2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.

मूर्ति मंदिर श्री महादेवजी वाके ग्राम मासलपुर जरिये नेक्स्टफेन्ड एंव व्यवस्थापक व सेवायत रामजीलाल पुत्र गैंदा आयु 71 साल जाति ब्राहमण निवासी मासलपुर जिला करौली (राज0)

सायल

बनाम

1. कल्याण पुत्र भोरया
2. राजेन्द
3. देशराज } पुत्रान कल्याण
4. अमृत
5. अतरू } पुत्रान प्यार सिंह
6. महराजसिंह
7. हंसराम } किशन लाल

जातियान गुर्जरान निवासीयान सुबेदार का पुरा तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)

8. तहसलीदार तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0)
9. जगराम पुत्र स्व0 किशन सिंह जाति गुर्जर निवासी सुबेदार पुरा तहसली मासलपुर

निर्णय दिनांक 12.04.2021

संक्षिप्त में प्रकरण तथ्य इस प्रकार है सायल ने यह प्रार्थना पत्र मूर्ति मंदिर श्री महादेवजी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायल जो शाश्वत नाबालिग है कि खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1001,1002,1194,125,1206,1207, कुल किता 6 कुल रकवा 6 बीधा 8 बिस्वा ग्राम मासलुपर में स्थित है सायल मंदिर की सेवा पूजा एवं व्यवस्था व आराजीयात की देखरेख सनातन से करता चला आ रहा है और सायल का हितबद्व व्यक्ति है खसरा नम्बर 1001 व 1002 में काफी सख्या में पेड खाडे हुये है खसरा नम्बर 1001 व 1002 ही विवादित है इनमें खडे वृक्षो को काटने व शेष जमीन में काश्त करने में व्यवधान डालने के लिए गैरसायल संख्या 1 ता 7 आमादा है और इनके द्वारा अवैध पाटौर डालने पर उसको तहसीलदार मासलपुर द्वारा ध्वस्त किये जाने के आदेश तक किये जा चुके है किन्तु जाति बाहुल्य के आधार पर अपना बल प्रयोग कर ठाकुरजी की उक्त आराजीयात में बिना किसी अधिकार के व्यवधान डालने पर आमादा है इसलिए गैरसायलान को अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि गैरसायल द्वारा अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के [illegible] रामजीलाल सुनार से रखी है इसलिए इन दी आल्टरनेटिव इनका कब्जा [illegible] की अवस्था में सायल गैरससायलन से लैण्डहोल्डर की सहायता से कब्जा प्राप्त [illegible] के अधिकारी है एवं दौरानने दावा अवैध रूप से पेडों की कटाई कब्जा पर [illegible] करने के अधिकारी है गैरसायलान के खिलाफ 143,व 447 सीआरपीसी के [illegible] दिनांक 14.04.2007 को अवैध रूप से पाटैर डालने पर पुलिस थाना मासलपुर में रिपोर्ट की गयी और डाली गयी अवैध पाटौर को ध्वस्त किये जाने हेतु तहसीलदार मासलपुर ने दिनांक 04.05.2007 को उक्त प्राटैर को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये जा चुके है किन्तु गैरसायलान राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों से साज किये हुये है और गैरसायलान उक्त आदेश की पालना नही होने दे रहे है उक्त रिपोर्ट के आधार पर गैरसायलान मेंसे कल्याणा,राजेन्द्र,अतरू व हसराम को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करने के कारण गैरसायलान के हौसले और वढ गये हैं जबकि निर्णय दिनांक 28.03.2018 के खिलाफ अपील न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2018 नियत है इसलिए गैरसायलान न0 1 ता 7 दिनांक 27.05.2018 को ऐलानिया धमकी दे चुके है कि उक्त आराजी में खडे पेडो को अपनी ताकत के वल पर काटेगे और काटकर बेचगे और सायल व उनके व्यवस्थापक को जान से खत्म कर देगे गैरसायलान के इस कृत्य से सायल के हक हकूक प्रभावित हो रहे है तब सायल ने दावा व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष में है अपर्णीय क्षति व सुविधा का सतुलन सायल के पक्ष में हैं। दावाके निस्तारण में समय लगेगा इसलिए ताफैसला दावा सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर सायल के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकर करते हुये कथन किया है कि विवादित आराजीयात से सायल का कोई ताल्लुक नही है ना ही सायल काविज है जबावदारान के खिलाफ जबावदारान को तंग व परेशान करने को झूठी रिपोर्ट थाने में पेश की गई थी जिसमें हमारा कब्जा मानते हुये जबाव दारान को अदालत द्वारा वरी किया गया है और अपील खारिज हो चुकी है सायल विवादित जमीनों पर काविज नही है इसलिए दावा चलने योग्य नही है दावा सायल मुताविक आदेश 6 रूल 15 c.p.c.तस्दीक नही है सायल शुद्वहस्त नही आया है सही तथ्यों को छिपाया है सायल ने अपना कब्जा बताते हुये दावा पेश किया है तथा कब्जा प्राप्त करने की आल्टरनेटिव भी चाही है सायल द्वारा गैरसायलान का कब्जा किस प्रकार कब से किस आधार पर है स्पष्ट अभिवचन प्रभाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किये जाने चाहिए सायल दोनों हाथों में उडडू लेकर नही चल सकता है विवादित जमीन रामजीलाल पुत्र अर्जुन जाति सुनार निवासी मासलपुर की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही है खातेदार रामजीलाल से जबाब दारान के बुर्जग कल्याण सिंह पुत्र भोरया व जगराम पुत्र किशनलाल को करीव 40 साल पहले खसरा नम्बर 1001,1002 व खसरा नम्बर 649को 50000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका इकरारनामा विकेता रामजीलाल द्वारा कल्याण सिंह व जगराम के हक में दिनांक 19.09.2002 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर तहरीर तकमील कर अपने हस्ताक्षर कर केतागण के सुपुर्द कर दिया इस प्रकार जबाव दावा व जबावदार से पहिले पितागण विवादित भूमि पर पिछले 40 साल से अधिक समय से लगातार काविज चले आ रहे है जबावदार व पितागण सदभाविकक्रेता है साविक खातेदार रामजीलाल पुत्र अर्जुन सुनार निवासी मासलपुर पक्षकार मुकदमा है विवादित जमीन रामजीलाल सुनार के खाते व कब्जे की थ जिसे विना किसी कानूनी प्रकिया अपनाये खातेदार व जबावदारान काविज को विना सुने गलत तरीके से खातेदारी रामजीलाल से बदल कर [illegible] कर्मचारियों से मिलकर मंदिर के नाम कराली जो हम जबाबदारान पर वाइ[illegible] भूमि पर गैरसायलान के पितागण के समय से लगभग 40 साल [illegible] सिको की जानकारी में ओपन होस्टाईल व एडवर्सली काविज चले आ रहे [illegible] समस्त हक हकूक जबाबदारान के हक में वाई ऑपरेशन ऑफ [illegible] सायल विवादित आराजी पर दायरी दावा अन्दर 12 साल कभी काबिज नही रहे हो तो वे वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ Extingush हो चुके है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

वकील सायल का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1001,102 सायल मंदिर के खातेदारी व कब्ज की है सायल मंदिर की सेवा पूजा करता है व व्यवस्थापक है और मंदिर की जायदाद व वादग्रस्त भूमि की देख रेख करता है। सायल मंदिर का हितवद्व व्यक्ति है खसरा नम्बर 1001,1002 में काफी संख्या में पेड़ लगे हुये है जिन्हे काटने व शेष जमीन में काश्त करने में व्यवधान डालने के लिए गैरसायलान 1 ता 7 आमादा है गैरसायलान द्वारा अवैधरूप से डाली गयी पाटौर को तहसीलदार द्वारा ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये जा चुके है गैरसायलान द्वारा अवैध रूप से विना किसी अधिकार के बेचान की लिखा पढी रामजीलाल सुनार से करा रखी है सायल गैरसायलान का कब्जा माने जाने की स्थिति में तहसीलदार की सहायता से कब्जा प्राप्त करने के हकदार है और दौराने दावा पेडो की कटाई करने पर मुआवजा भी प्राप्त करने के हकदार है दिनांक 27.05.2018 को गैरसायलान ने भूमि में खंडे पेडों को ताकत केवल पर काटने व बेचने की धमकी दी है गैरसायलान के इस कृत्य से हकूक सायल पर आधात है सायल को अपूर्णीय क्षति भारी असुविधा है गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जावें।

वकील गैरसायलान का वहस में कथन है कि सायल का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है ना ही सायल काविज है सायल ने गैरसायलान को तंग व पेरशान करने को दावा व प्रार्थना पेश किये है विवादित जमीन रामजीलाल पुत्र अर्जुन सुनार के खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है जिससे गैरसायलान के बुर्जुग कल्याणसिंह व जगराम ने 40 साल पहले खसरा नम्बर 649 के साथ वादग्रस्त भूमि को 50000/– रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है रामजीलाल द्वारा कल्याण व जगराम के हक में दिनांक 19.09.2002 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तहरीर तकमील कर अपने हस्ताक्षर कर केतागण को सुर्पुद कर दिया तभी से गैरसायलान व गैरसायलान के पितागण भूमि पर काविज है रामजीलाल प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है रामजीलाल व गैरसायलान ने मंदिर के नाम कराली है जिससे गैरसायलान बाध्य नही है गौरसासयल का भूमि पर मुखालफाना कब्जा है समस्त हक गैरसायलान में वेस्ट हो चुके है सायल का 12 साल से अधिक समय से भूमि पर कब्जा नही होने से हक हकूक समाप्त हो गये है सायल गैरसायलान के विरूद्व कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावें।

वहस वकील फरीकेन का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन कर विवेचन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी सायल 2064 से 2067 में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्रीमहादेवी जी महाराज मासलपुर के खातेदारी में दर्ज है एवं पूर्व में उक्त आराजी रामजीलाल पुत्र अर्जुन सुनार मासलपुर के खातेदारी में दर्ज रही है रामजीलाल द्वारा दिनांक 19.09.2002 को खसरा नम्बर 1001,1002 का बेचान इकरारनामा गैरसायलान के बुर्जुग पिता कल्याण व जगराम के हक में [illegible]00/– रूपये का खसरा नम्बर 649 के साथ तहरीर किया गया है [illegible] अंकित नही है प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है यदि दौराने [illegible] भूमि से पेडों की कटाई गैरसायलान द्वारा की जाती है एवं शेष भूमि के काश्त [illegible] में वयवधान करने पर सायल के खातेदारी हक हकूक प्रभावित होगे जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होना प्रकट होता है सायल गैरसायलान के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

अतः प्रार्थना पत्र सायल विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को तांफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नम्बर 1001,1002 कुल किता 2 कुल रकवा 1 वीधा 5 विस्वा ग्राम मासलपुर तहसील मासलपुर में खडे वृक्षो को नही काटे ना ही अन्य किसी से कटवाये एवं शेष भूमि सायल के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार व्यवधान ना तो स्वंय डाले ना किसी अन्य डलवाये मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.06.02 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner